

Interim order of Cauvery Water Tribunal

253. SHRI NILOTPAL BASU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the interim order of Cauvery Water Tribunal; and

(b) the tentative time schedule for implementing the order?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) As per the interim order dated 25.6.1991 of Cauvery Water Dispute Tribunal, the State of Karnataka is required to release water from its reservoirs so as to ensure that 205 Thousand Million Cubic Feet (TMC) of water is available in Tamil Nadu's Mettur Reservoir in a year from June to May with monthly & weekly stipulations, 6 TMC of water is to be delivered by the State of Tamil Nadu for the Karaikal region of Union Territory of Pondicherry in a regulated manner and the State of Karnataka shall not increase its area under irrigation by the waters of river Cauvery beyond the existing 11.2 lakh acres.

(b) The above order of the Tribunal was published by the Central Government in the Official Gazette on 10.12.91. As such it has become binding on the party States.

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं की स्वीकृति

254. श्री दिलीप सिंह जूदेव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में जिला-वार प्रत्येक सिंचाई परियोजना को किस तारीख से स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) उक्त परियोजनाओं पर अब तक किये गये खर्च का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया है; और

(घ) क्या जनजातिय क्षेत्रों में परियोजनाओं को कोई विशेष प्राथमिकता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल) : (क) और (ख) गत 10 वर्षों के दौरान योजना आयोग, द्वारा मध्य प्रदेश में केवल दो सिंचाई परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। इन परियोजनाओं के नाम, उनके द्वारा लाभान्वित जिलों, उनके अनुमोदन की तारीख तथा मार्च, 1998 तक उन पर हुआ अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये)				
क्रम.सं.	परियोजना का नाम	लाभान्वित जिले	अनुमोदन की तारीख	मार्च, 1998 तक किया गया अनुमानित व्यय
1.	मन सिंचाई परियोजना	धार	5.6.92	109.99
2.	सिंध फेज II	भिन्ड, बतिया, ग्वालियर शिवपुरी	17.3.98	84.06

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सभी वृहद/बहुउद्देशीय और मध्यम परियोजनाओं पर सलाहकार समिति द्वारा विचार किये जान के लिए तकनीकी- आर्थिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है। सलाहकार समिति की स्वीकृति के बाद परियोजनाओं को निवेश स्वीकृत के लिए योजना आयोग को भेजा जाता है और यह स्वीकृति राज्य सरकारों द्वारा वन और पर्यावरण मंत्रालय से वन और पर्यावरण सांविधिक स्वीकृति,

कल्याण मंत्रालय से पुनर्वास और पुर्नस्थापना योजना की स्वीकृति तथा राज्य विभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद प्रदान की जाती है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा उनकी स्वयं की प्राथमिकता के अनुसार किया जा रहा है।